निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 44 / 2022

तारीख दायरा 21.04.2022

उनवान

प्रभुलाल पुत्र बद्रीलाल उर्फ किशनलाल जाति माली निवासी ग्राम ढाबला उर्फ कल्याणपुरा तहसील अन्ता जिला बारां।

— वादी

बनाम

1. भंवरी बाई बेवा स्व. बद्रीलाल पत्नि देवलाल जाति माली निवासी ग्राम बडवा तहसील अंता जिला बारां।
2. धनास बाई पुत्री बद्रीलाल उर्फ किशनलाल जाति माली निवासी ग्राम ढाबला उर्फ कल्याणपुरा तहसील अन्ता जिला बारां।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब सांगोद।

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :—

श्री बाबूलाल नागर (वकील वादी)

दिनांक :— 22.04.2022

श्री नाथूलाल नागर (वकील प्रतिवादीगण)

—निर्णय—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम राजगढ तहसील सांगोद में खाता सं. नई 304 के ख.न. 521 की 0.78 है., ख.न. 522 की 0.22 है. कुल 2 किता की कुल 1.00 है. आराजी स्थित

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

है एवं खाता सं. नई 85 के ख.न. 176 कह 0.23 है., ख.न. 177 की 0.68 है., ख.न. 180 की 0.45 है., ख.न. 46 की 0.20 है., ख.न. 47 की 1.47 है., ख.न. 48 की 0.04 है., ख. न. 496 की 0.13 है., ख.न. 497 कह 0.01 है., ख.न. 498 कह 0.02 है. कुल 9 किता की कुल 3.22 है. आराजी स्थित है, जिस पर काफी समय से वादी ही काबिज काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी में वादी के पिता बद्रीलाल उर्फ किशनलाल की मृत्यु के बाद फौती इन्तकाल खुलकर राजस्व रेकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम दर्ज हो गया है। राजस्व रेकार्ड में वादी के पिता का नाम बद्रीलाल दर्ज है जबकि गांव में उनका बोलता नाम किशनलाल होने से उनको किशनलाल के नाम से भी जाना जाता है। वादी के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र किशनलाल के नाम से बना हुआ है। जिसके आधार पर पूर्व में ही इन्तकाल की कार्यवाही होकर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुआ है। इस प्रकार वादी के पिता के नाम में भिन्नता होने से वादी को काफी परेशानीयों का सामना करना पड रहा है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के पिता के नाम में भिन्नता होने के कारण किसी प्रकार का राजकीय लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 की माता प्रतिवादी सं. 2 भंवरी बाई का बद्रीलाल उर्फ किशनलाल के स्वर्गवास होने के बाद लगभग 40 वर्ष पूर्व ग्राम बडवा तहसील अंता निवासी देवलाल से नाता विवाह कर लिया है जो उक्त समय से देवलाल के साथ पत्नि का दायित्व निभाते हुए परिवार में निवास कर रही है। ऐसी स्थिति में नाता विवाह करने के बाद भी राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 भंवरी बाई का नाम दर्ज चला आ रहा है जिसको हटाया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

उक्त संबंध में वादी ने राजकीय कर्मचारियों से संपर्क करके उक्त त्रुटि को दुरस्त करने के लिए निवेदन किया एवं उन्होंने कहा कि सक्षम राजस्व न्यायालय में कार्यवाही करके रेकार्ड दुरस्त करवाया जा सकता है जिससे माननीय न्यायालय में वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के हक में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादर पारित फरमाई जावे कि 7

माल ग्राम राजगढ तहसील सांगोद के खाता सं. नई 304 की 2 किता की 1.00 है. एवं खाता सं. नई 85 की 9 किता की कुल 3.22 है. आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी के पिता का नाम बद्रीलाल उर्फ किशनलाल दर्ज करने के आदेश पारित किए जावे। प्रतिवादी सं. 1 भंवरी बाई का नाम वादग्रस्त आराजी से हटाया

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

जाकर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के हिस्से में समान रूप से समाहित करने की घोषणा की डिक्री पारित की जावे। उक्तानुसार इन्द्राज दुरस्त किया जावे।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। उक्त पत्रावली दिनांक 22.4.2022 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प विनोदखुर्द सांगोद में रखी गई। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से वकील श्री नाथूलाल नागर द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। इसके बाद पक्षकारान ने कैम्प में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण की पहचान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनाम खुलेआम पढकर सुनाया गया। किसी को कोई आपत्ति नहीं है। राजीनामा तस्दीक करने के बाद अधिवक्ता उभयपक्षकारान ने राजीनामे के आधार पर वाद पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की। वादी ने सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी चहेडिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश किया गया जिसके अनुसार वादी के पिता बद्रीलाल एवं किशनलाल दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। प्रतिवादी सं. 3 प्रकरण में फार्मल पक्षकार है।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, नकल जमाबंदी, राजस्व रेकार्ड, ग्राम विकास अधिकारी चहेडिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र, राजीनामे से यह जाहिर होता है कि वादी ने उनके वाद पत्र में जो कथन किये हैं वे सत्य हैं। ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से अंतिम रूप से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम राजगढ तहसील सांगोद में खाता सं. नई 304 के ख.न. 521 की 0.78 है., ख.न. 522 की 0.22 है. कुल 2 किता की कुल 1.00 है. आराजी एवं खाता सं. नई 85 के ख.न. 176 कह 0.23 है., ख.न. 177 की 0.68 है., ख.न. 180 की 0.45 है., ख.न. 46 की 0.20 है., ख.न. 47 की 1.47 है., ख.न. 48 की 0.04 है., ख.न. 496 की 0.13 है., ख.न. 497 कह 0.01 है., ख.न. 498 कह 0.02 है. कुल 9 किता की कुल 3.22 है. आराजी में प्रतिवादी सं. 1 भंवरी बाई का नाम हटाया जाकर उसके हिस्से की आराजी को वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के हिस्से में समान रूप से समाहित किया जावे। उक्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के पिता का नाम दुरस्त कर बद्रीलाल उर्फ किशनलाल दर्ज किया जावे। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करे। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया जावें।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 22.04.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

फर्द डिकी मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

तारीख दायरा 21.04.2022

प्रकरण संख्या : 44 / 2022

उनवान

प्रभुलाल पुत्र बद्रीलाल उर्फ किशनलाल जाति माली निवासी ग्राम ढावला उर्फ कल्याणपुरा तहसील अन्ता जिला बारां। – वादी

बनाम

1. भंवरी बाई बेवा स्व. बद्रीलाल पत्नि देवलाल जाति माली निवासी ग्राम बडवा तहसील अंता जिला बारां।
2. बनास बाई पुत्री बद्रीलाल उर्फ किशनलाल जाति माली निवासी ग्राम ढाबला उर्फ कल्याणपुरा तहसील अन्ता जिला बारां।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब सांगोद। – प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :–

श्री बाबूलाल नागर (वकील वादी) दिनांक :– 22.04.2022

श्री नाथूलाल नागर (वकील प्रतिवादीगण)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री बाबूलाल नागर मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि –

माल ग्राम राजगढ तहसील सांगोद में खाता सं. नई 304 के ख.न. 521 की 0.78 है., ख.न. 522 की 0.22 है. कुल 2 किता की कुल 1.00 है. आराजी एवं खाता सं. नई 85 के ख.न. 176 कह 0.23 है., ख.न. 177 की 0.68 है., ख.न. 180 की 0.45 है.,

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

ख.न. 46 की 0.20 है., ख.न. 47 की 1.47 है., ख.न. 48 की 0.04 है., ख.न. 496 की 0.13 है., ख.न. 497 कह 0.01 है., ख.न. 498 कह 0.02 है. कुल 9 किता की कुल 3.22 है. आराजी में प्रतिवादी सं. 1 भंवरी बाई का नाम हटाया जाकर उसके हिस्से की आराजी को वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के हिस्से में समान रूप से समाहित किया जावे। उक्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के पिता का नाम दुरस्त कर बद्रीलाल उर्फ किशनलाल दर्ज किया जावे। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 22.04.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

9/5/22

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद ,कोटा

क्रमांक– 389 दिनांक– 9/5/22

तहसीलदार,

तहसील सांगोद।

विषयः– इजराय संख्या 55/22 उनवान प्रेमलाल बनाम भंवरीबाई मुताबिक निर्णय पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मिसल नं0 ५५/२०२२ उनवान प्रेमलाल बनाम भंवरीबाई के न्यायालय में दिनांक २२.५.२२ को निर्णय–डिक्री पारित किया जा चुका है। पत्र के साथ पुनः निर्णय डिक्री की छाया प्रति भिजवायी जा रही है। अतः प्रकरण में मुताबिक निर्णय (अगर किसी अन्य उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश न हो) आगामी तारीख पेशी दिनांक २५.६.२२ से पूर्व पालना करना सुनिश्चित करें।

सलंग्न–

निर्णय–डिक्री की छाया प्रति

अंजना सहरावत

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

उपखण्ड अधिकारी

सांगोद

कार्यालय तहसीलदार (भू0 अभि0) सांगोद जिला कोटा

क्रमांक/LR/2023/854 दिनांक- 20/03/23

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

सांगोद।

विषयः- न्यायालय से जारी डिक्री आदेशों की पालना बाबत्।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान् के न्यायालय प्र0 सं0.........44/2022 उनवान.........पन्नालाल / राज सरकार.........में जारी डिक्री दिनांक 21/4/22 की पालना में ग्राम.........[illegible].........में नामान्तरकरण सं.........680......... दिनांक 1/7/22 को दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना कर दी गयी है। नकल जमाबंदी संलग्न है। इसमें कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

अतः पालना रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू0 अभि0)

तहसील सांगोद जिला कोटा

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

ग्राम का नाम :- राजगढ़
पटवार हल्का :- मंडीता
भू.अभि.नि. :- कुन्दनपुर
तहसील :- साँगोद
जिला :- कोटा

सम्वत :- 2076 - 2079
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 304
खाता संख्या पुराना :- 85

काश्तकार का नाम:-

1. गोबिन्दलाल पुत्र जगन्नाथ हिस्सा- 1/24 जाति- माली सा. ग्राम कल्याणपुरा तह. मांगरोल खातेदार
2. भुवनेश कुमार गौतम पुत्र प्रेम प्रकाश गौतम हिस्सा- 5/8 जाति- ब्राह्मण सा.नाथ का खेडा अन्ता तहसील अन्ता खातेदार
3. मदरसा तालिमुल इस्लामिया राजगढ़ जर्ये सदर कलामुद्दीन पुत्र कमरुद्दीन हिस्सा- 1/3 खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
521	0.7800	नहरी 0.7800	17.16		स्वीक्रत नामांतरकरण : 531 05/11/2019 दान	
522	0.2200	नहरी 0.2200	4.84		स्वीक्रत नामांतरकरण : 659 05/04/2022 विरासत	
					स्वीक्रत नामांतरकरण : 664 21/04/2022 विरासत	
					स्वीक्रत नामांतरकरण : 670 17/06/2022 न्याया. आदेश	
					स्वीक्रत नामांतरकरण : 680 01/07/2022 न्याया. आदेश	
					स्वीक्रत नामांतरकरण : 681 20/09/2022 बेचान	
कुल खसरे - 2	1.0000	1.0000	22.0000			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।

NIC

नामांतरकरण प्रपत्र (प्र-21)

ग्राम :राजगढ़ पटवार मण्डल :गोहीता भू.अ.नि.वृत:कुन्दनपुर तहसील:साँगोद जिला:कोटा

नामांतरकरण का प्रकार : बेचान | प्रविष्टि का क्रम संख्या एवं दिनांक :681 08/08/2022 | संवत तथा ढाल बाछ की क्रम संख्या:2076-2079

रजिस्ट्रीकरण/बंधक संख्या एवं दिनांक :202203303102282 08/07/2022 | नामांतरकरण शुल्क :20 शास्ति : 0

सही किये जाने के लिए प्रतिस्थापित वर्तमान जमाबंदी (खतौनी) में की प्रविष्टि						जमाबंदी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित नयी प्रविष्टि					
खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खाता संख्या	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	521 522	0.7800 0.2200	नहरी नहरी	17.16 4.84	1.) बनाम बाई पुत्री बद्रीलाल हिस्सा- 1/9 जाति- माली सा. ग्राम कल्याणपुरा तह. मांगरोल खातेदार 2.) आनन्दीबाई पुत्री जगन्नाथ हिस्सा- 1/24 जाति- माली सा. ग्राम कल्याणपुरा तह. मांगरोल खातेदार 3.) कन्हैयालाल पुत्र जगन्नाथ हिस्सा- 1/24 जाति- माली सा. ग्राम कल्याणपुरा तह. मांगरोल खातेदार 4.) कन्हैयालाल पुत्र देवीलाल हिस्सा- 1/144 जाति- माली सा. ग्राम कल्याणपुरा तह. मांगरोल खातेदार 5.) कमलाबाई पुत्री जगन्नाथ हिस्सा- 1/24 जाति- माली सा. ग्राम कल्याणपुरा तह. मांगरोल खातेदार 6.) कल्याणीबाई पत्नि स्व. जगन्नाथ हिस्सा- 1/24 जाति- माली सा. ग्राम कल्याणपुरा तह. मांगरोल खातेदार 7.) द्रोपतीबाई पुत्री देवीलाल हिस्सा- 1/144 जाति- माली सा. ग्राम कल्याणपुरा तह. मांगरोल खातेदार 8.) नन्दकिशोर पुत्र जगन्नाथ हिस्सा- 1/24 जाति- माली सा. ग्राम कल्याणपुरा तह. मांगरोल खातेदार 9.) मोतीलाल पुत्र जगन्नाथ हिस्सा- 1/24	304	1.) मदरसा तालिमुल इस्लामिया राजगढ़ जरिये सदर फकरुद्दीन पुत्र कमरुद्दीन हिस्सा- 1/3 खातेदार 2.) गोविन्दलाल पुत्र जगन्नाथ हिस्सा- 1/24 जाति- माली सा. ग्राम कल्याणपुरा तह. मांगरोल खातेदार 3.) भुवनेश कुमार गौतम पुत्र प्रेम प्रकाश गौतम हिस्सा- 5/8 जाति- ब्राह्मण सा.नाथ का खेड़ा अन्ता तहसील अन्ता खातेदार	521 522	0.7800 0.2200	नहरी नहरी	17.16 4.84
						खाता : 304	कुल काश्तकार : 3	कुल खसरे : 2		कुल क्षेत्रफल: 1.0000	

ग्राम :राजगढ़
नामांतरकरण का प्रकार : बेचान
रजिस्ट्रीकरण/बंधक संख्या एवं दि

खाता : 304	कुल खसरे : 2

महोदय

(क)पटवारी की रिपोर्ट : नि. ज

(ख)भू.अ.निरीक्षक की जांच रिपोर्ट :

(ग)ग्राम पंचायत/ राजस्व अधिकारी क